न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 93 दायर दिनांक : 18.07.2019

जमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ –प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादी
2. प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 19.12.2019

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादी के अभिभाषक एवं प्रतिनिधि राज्य सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी जमनसिंह पुत्र लालसिंह द्वारा यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी भूमि जैमलसिंह पुत्र लालसिंह के नाम खातेदारी अंकित है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम जैमलसिंह गलत दर्ज हुआ है। वादी का सही नाम जमनसिंह पुत्र लालसिंह है। जैमलसिंह नाम का लालसिंह के कोई पुत्र ही नहीं है। वादी को ही छोटे नाम जैमलसिंह से पुकारते हैं। वादी की अन्य भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सही नाम जमनसिंह ही अंकित है, इसलिए वादी ने नामों की एकरूपता के लिए रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी भूमि का वादी जमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत साकिन देह को खातेदार कृषक घोषित करने, व

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

इसी अनुसार उक्त खाते में अंकित जैमलसिंह का नाम कलमजन कर वादी का सही नाम जमनसिंह अंकित किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राज्य पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत ना करने पर दिनांक 16.12.2019 को जवाब स्टेट बन्द कर साक्ष्य वादी प्राप्त किये गये। वादी ने साक्ष्य में शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये। बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की वाके रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में वादी का नाम जमनसिंह के स्थान पर जैमलसिंह गलत अंकित कर दिया गया, जबकि वादी का सही नाम जमनसिंह है। वादी की इसी रोही चाहड़सर में अन्य खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, जो वाद के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 75/64 एवं वादी के आधार कार्ड की ओर ध्यान दिलाया जिसमें वादी का सही नाम जमनसिंह पुत्र लालसिंह अंकित है। साथ ही वाद के साथ प्रस्तुत सरपंच, ग्राम पंचायत ठुकराना पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा जारीशुदा प्रमाण–पत्र का भी अवलोकन करवाया जिसमें जमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत को ग्राम चाहड़सर का स्थाई निवासी बताते हुए जमनसिंह पुत्र लालसिंह व जैमलसिंह पुत्र लालसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया। उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से वाद पूर्ण रूप से प्रमाणित व सिद्ध होना बताते हुए, वाद स्वीकार किया जाकर रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी दोयम भूमि में अंकित जैमलसिंह वल्द लालसिंह के स्थान पर जमनसिंह वल्द लालसिंह को खातेदार कृषक घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की गयी।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तर्कों पर मनन किया। तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय साक्ष्य गहनता से अवलोकन व पठन करने पर पाया गया कि सरपंच, ग्राम पंचायत ठुकराना के प्रमाण–पत्र, वादी स्वयं के शपथ–पत्र, आधार कार्ड, वादी की अन्य भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी से वादी अपने आपको जमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि का अंकित काश्तकार 'जैमलसिंह वल्द लालसिंह' के स्थान पर 'जमनसिंह वल्द लालसिंह' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'जैमलसिंह' कलमजन कर 'जमनसिंह' अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'जैमलसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा. देह' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'जमनसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा. देह' द्वारा देय होंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

जमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ **–प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 93 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भगवान दत्त शर्मा एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के खसरा नं. 145 में 6.387 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि का अंकित काश्तकार 'जैमलसिंह वल्द लालसिंह' के स्थान पर 'जमनसिंह वल्द लालसिंह' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही चाहड़सर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 82/89 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'जैमलसिंह' कलमजन कर 'जमनसिंह' अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'जैमलसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा. देह' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'जमनसिंह वल्द लालसिंह कौम राजपूत सा. देह' द्वारा देय होंगे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **17.12.2019** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.23 11:06:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: